(8)

<u>कार्यालय संयुक्त संचालक,</u>
<u>नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इन्दौर, म.प्र.</u>

क्र./INDLP-693/14/नग्रानि/2014 / 10211 इन्दौर, दिनांक 25/11/14

प्रति,

1. श्रीमती नीना पति श्री संजय अग्रवाल,
2. श्रीमती रीतू पति श्री मनोज अग्रवाल

विकासकर्ता– श्री आशीष पिता श्री जी. बी. दास,
निवासी:– 306, आर्बिट मॉल, स्कीम नं. 54, ए.बी.रोड, इन्दौर

विषय :– **ग्राम निपानिया के खसरा क्रमांक 260/1, 261/1 261/2 एवं 264/1 कुल रकबा 8.991 हेक्टेयर में से इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना में सम्मिलित 0.680 हेक्टेयर भूमि को छोडकर शेष 8.311 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन बाबद।**

संदर्भ :– **आपका आवेदन दिनांक 07/10/2013.**

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में आवेदक श्रीमती नीना पति श्री संजय अग्रवाल एवं श्रीमती रीतू पति श्री मनोज अग्रवाल, विकासकर्ता– श्री आशीष पिता श्री जी.बी. दास, निवासी:– 306, आर्बिट मॉल, स्कीम नं. 54, ए.बी.रोड, इन्दौर ने ग्राम निपानिया के खसरा क्रमांक 260/1, 261/1 261/2 एवं 264/1 कुल रकबा 8.991 हेक्टेयर भूमि में से इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना में सम्मिलित भूमि रकबा 0.680 हेक्टेयर भूमि को छोडकर 8.311 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन बाबद निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए है :–

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन।
2. आवेदन शुल्क रूपये 45,000/– चालान क्र. 02 दिनांक 01/09/2014 एवं अनुज्ञा शुल्क रूपये 7,00,000/– चालान क्र. 74 दिनांक 13/11/2014 द्वारा जमा। इस प्रकार कुल रूपये 7,45,000/– जमा।
3. खसरा बी–1, पी–2 वर्ष 2014–2015, विक्रय पत्र एवं ऋण पुस्तिका।
4. सीमांकन रिपोर्ट।
5. शपथ पत्र।
6. क्षतिपूर्ति पत्र।
7. रूपांकन मानचित्र।

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर भू–स्वामी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में मानचित्रकार द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें स्थल रिक्त होना पाया गया है। प्रश्नाधीन भूमि को पूर्व दिशा में स्थित 45.0 मीटर एवं दक्षिण दिशा में स्थित 30.0 मीटर चौडे मार्ग से पहुँच उपलब्ध है। प्रश्नाधीन भूमि को विकास योजना 2021 में भूमि उपयोग आवास एवं मार्ग निर्दिष्ट है।

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व इन्दौर ने उनके पत्र क्र. 1384 दिनांक 26/09/2014 द्वारा अभिमत दिया है कि, प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार, इन्दौर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदन से सहमत होकर लेख किया है कि, विषयांकित भूमि नजूल भूमि नहीं है।

भू अर्जन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 6733/भू–अर्जन/2014 दिनांक 17/09/2014 द्वारा आवेदक को जानकारी दी है कि, ग्राम निपानिया, जिला इन्दौर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 261/1, 261/2 एवं 264/1 कुल रकबा 2.148, 2.148 एवं 0.425 हेक्टेयर भूमि प्राधिकरण की किसी योजना में समाविष्ट नही है तथा सर्वे क्रमांक 260/1 रकबा 4.270 हेक्टेयर भूमि में से 0.680 हेक्टेयर भूमि प्राधिकरण की योजना क्रमांक 175 में समाविष्ट है एवं इस सर्वे नम्बरों की शेष 3.590 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्राधिकरण की किसी योजना में समाविष्ट नही है।

अविरत...2

Shri Mittal Corporation
श्री ताराम
Sitaram Mittal HUF
Proprietor

//2//

उपरोक्त दस्तावेजों एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों, क्षतिपूर्ति पत्र एवं स्वामित्व दस्तावेजो के आधार पर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30(3)(1)(ख) एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) एवं 2(5) के प्रावधानों के आधार पर निम्न शर्तो के अध्यधीन रहते हुए ग्राम निपानिया, जिला इन्दौर के खसरा क्रमांक 260/1, 261/1 261/2 एवं 264/1 कुल रकबा 8.991 हेक्टेयर भूमि में से 0.680 हेक्टेयर भूमि छोडकर शेष 8.311 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन निम्न शर्तो के